कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक/डीएमएफ/अस्थायी नियुक्ति/2024–25 -12113 बिलासपुर दिनांक 20/11/24

"अस्थायी भर्ती विज्ञापन"

जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत वर्ष 2024–25 में प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार पुलिस परिवार कल्याण चिकित्सालय, जिला बिलासपुर छ.ग. हेतु दंत चिकित्सक एवं दंत सहायक पदो हेतु इच्छुक पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बिलासपुर छ.ग.** के नाम से दिनांक 03.12.2024 को आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नही किया जायेगा। **"सभी नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्ययीन होगी"।**

वाक–इन–इंटरव्यू दिनांक 03.12.2024
पंजीकरण का समय 10:30 बजे से 11:30 बजे तक
स्थल सेन्ट्रल लायब्रेरी, नूतन चौक, सरकंडा, जिला बिलासपुर

S.N.	Programme	Post Name	Salary	Vacant	Vacant Post Roster				Qualification
					UR	ST	SC	OBC	
1	DMF	Dentist	27500	1	1	0	0	0	BDS with registration in CG Medical Council is compulsary. Experience- Minimum 7 Years
2	DMF	Demtal Assistant	12000	1	1	0	0	0	10 th from Recognised Board Desirable Exp- Two years experience in a Dental College Clinic. Only Govt. Health Facility Experience shold be considered - Preferance can be given to candidate done 1 year course of Lab Technician (Dental Work Related). Hygenist or Dental Technician from Medical College.

विज्ञापन नियम एवं शर्तेः–

1.1 उपरोक्त पदो पर आवेदन के समय मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल/संस्था/विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व पंजीयन की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें एवं मूल प्रमाण पत्र साथ में लावे।

1.2 विज्ञापित पदों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप व उक्त पदों की भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें व दिशानिर्देश जिले की वेबसाइट http://bilaspur.gov.in में देखी व डाउनलोड की जा सकेगी। विज्ञापन से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण जानकारी समय–समय पर जिले के वेबसाइट के माध्यम से ही दी जावेगी। अभ्यर्थी निरंतर जिले की वेबसाईट www.bilaspur.gov.in का अवलोकन करते रहें। अन्य किसी माध्यम से कोई जानकारी आवेदक को व्यक्तिगत प्रेषित नहीं की जावेगी। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी।

1.3 आवेदन आवेदित पदनाम सहित प्रस्तुत किया जाना होगा।

1.4 संविदा भर्ती के लिये न्युनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष हेतु होगी। आयु की गणना अनुबंध वर्ष के दिनॉक 01 जनवरी अनुसार की जावेगी।

1.5 सभी पद पूर्णतः अस्थायी है, जो कि अस्थायी भर्ती के संदर्भ में आरक्षण ("सभी नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्ययीन होगी") व राज्य संविदा भर्ती नियमानुसार के अनुसार लागू होंगे। विज्ञापित पदों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप व उक्त पदों की भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें व दिशानिर्देश जिले की वेबसाइट http://bilaspur.gov.in में देखी व डाउनलोड की जा सकेगी। शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावेगा।

1.6 मानदेयः— अस्थायी सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।

1.7 निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/स्क्रूटनी कर प्राप्त अभ्यार्थियों की वरीयता क्रम सूची बनाई जायेगी एवं निम्नानुसार पदों की संख्या के आधार पर अभ्यार्थियों का साक्षात्कार लिया जावेगाः

क्र.	कुल विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या	सक्षात्कार/परीक्षा लिये जाने हेतु अभ्यार्थियो की संख्या
1	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदो का 10 गुना

1.8 चयन प्रक्रियाः—

साक्षात्कार/मेरिट प्रक्रिया—

I. पात्र अभ्यार्थियों का चयन निर्धारित वांक्षित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं साक्षात्कार द्वारा में प्राप्त अंकों के आधार पर लिया जावेगा।

II. शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 60 प्रतिशत योग लिया जायेगा। साक्षात्कार में 30 अंक/प्रतिशत तथा अनुभव हेतु 10 (अधिकतम 5 वर्ष तक के लिये प्रति वर्ष हेतु 02 अंक)।

III. अभ्यार्थियों को साक्षात्कार में निर्धारित कुल अंको (30 अंक) का 30 प्रतिशत अंक (9 अंक) अर्जित करना अनिवार्य होगा। 30 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यार्थी को अपात्र माना जायेगा।

IV. ऐसे अभ्यार्थी जिनका अंकसूची ग्रेडिंग पद्धति का है उनको ग्रेडिंग गणना पद्धति द्वारा प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य है तथा इस संबंध में संबंधित शैक्षणिक संस्था/विद्यालय से संस्था प्रमुख द्वारा जारी गणना पत्रक/चार्ट की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1.9 चयनित होने पर उपस्थिति के समय निम्न अभिलेखों की मूल प्रति एवं 1 सेट छायाप्रति के साथ अभ्यार्थी को उपस्थित होना अनिवार्य है। मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित नहीं होने पर चयन स्वमेव निरस्त हो जायेगा।

- 10 वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची/जन्म प्रमाण पत्र।
- 12 वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची।
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परीक्षा के समस्त सेमेस्टर/वर्षो की अंकसूची।
- संबंधित डिग्री/डिप्लोमा।
- संबधित काउसिंल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति/जाति सत्यापन प्रमाण पत्र। (स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक पात्र होंगे)

- छत्तीसगढ़ राज्य का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र।
- विकलांगता प्रमाण पत्र (मेडिकल बोर्ड द्वारा) जीवित।
- अनुभव प्रमाण पत्र – समस्त पदो के चयन में पद से संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा जारी कार्य अनुभव ही मान्य किया जायेगा। जिसके लिये प्रतिवर्ष के मान से 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रदान किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही वर्ष का सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना कर अंक दिये जायेंगे।
- उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने एवं परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरांत भी किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के असत्य पाये जाने पर अभ्यार्थी की नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का यू.जी.सी. ए.आई.सी.टी.ई. एवं संबंधित काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।

1.10 विज्ञापन तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं (मूल दस्तावेज) पूर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई दावा–आपत्ति मान्य नहीं किया जायेगा।

1.11 दावा आपत्ति हेतु जारी सूची पर आवेदकों द्वारा एक निर्धारित समय अवधि तक ही दावा आपत्ति मान्य या स्वीकार किया जावेगा। दावा आपत्ति में केवल टंकन त्रुटि ही मान्य होगा। आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नवीन दस्तावेज मान्य नहीं होगा।

1.12 आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। प्रदेश के सभी अभ्यार्थी को समान अवसर प्राप्त होंगे। मूल निवासी उपलब्ध न होने की स्थिति में ही अन्य राज्य के निवासियो को अवसर दिया जाएगा।

1.13 छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र ना होने की स्थिति में अभ्यार्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा तथा ऐसे अभ्यार्थियों को अनारक्षित श्रेणी में रखा जायेगा।

1.14 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में कार्यरत उम्मीदवारो को अपने नियोक्ता संस्था से नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1.15 साक्षात्कार के दौरान अभ्यार्थी को अपने साथ पहचान पत्र आवश्यक रूप से लाना होगा।

1.16 उपरोक्त अस्थायी भर्ती अवधि 365 दिनों तक के लिए होगी। नियमित भर्ती किये जाने पर अस्थायी पद स्वतः निरस्त हो जायेंगे।

1.17 उक्त पदों की पुनः प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के स्थिति में वार्षिक कार्य आधारित मुल्यांकन में योग्य पाये जाने पर कार्य अवधि बढ़ाया जा सकेगा।

1.18 ऐसे अभ्यार्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त की गयी है चाहे वह किसी भी पद पर रहे हो उन्हे अपात्र उम्मीदवारों की संज्ञा में रखा जावेगा।

1.19 उक्त पदो के लिये प्रवर्गवार प्रतिक्षा भी जारी किया जायेगा, जिसकी वैधता प्रकाशन तिथि से आगामी एक वर्ष तक के लिए वैध रहेगी, इस दौरान पद रिक्तता की स्थिति में उक्त प्रतीक्षा सूची से पदपूर्ति की जा सकेगी। प्रतीक्षा चयन सूची हेतु कुल 25 पदों तक 200 प्रतिशत 25 से 50 पदों हेतु 150 प्रतिशत तथा 50 से अधिक पदों हेतु 100 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सके।

1.20 उक्त अस्थायी पद अस्थानांतरणीय होंगे तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना एवं मुख्यालय निवास करना अनिवार्य होगा।

1.21 वाक–इन–इंटरव्यू दिवस में स्थल पर ही दावा–आपत्ति, मेरिट सूची देखी जा सकेगी।

1.22 योग्य उम्मीदवार नही होने की दशा में चयन समिति द्वारा भर्ती निरस्त कर पुनः पद विज्ञापित कराया जा सकता है।

1.23 चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा किसी प्रकार का दबाव डाला या डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं किया जायेगा।

1.24 साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अभ्यार्थियों को कोई व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा।

1.25 अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नही किये जायेंगे तथा लिफाफे के ऊपर पदनाम का उल्लेख किया जाना होगा।

1.26 उपरोक्त पदों पर भर्ती के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्याओं पर अंतिम निर्णय कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला चयन समिति, जिला बिलासपुर छ.ग. का होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बिलासपुर छ.ग.